

न्यायालय कामर्शियल कोर्ट प्रयागराज

प्रकीर्ण वाद सं०-35/2025

मेसर्स एन.डी. इन्टरप्राइजेज बनाम यूनियन आफ इण्डिया

09.05.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ, पुकारा गया उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। उभयपक्ष की ओर से जरिये श्री सुदर्शन सिंह (वादी) व श्री अभिजीत चटर्जी एडवोकेट (प्रतिवादी) सुलहनामा क/13 प्रस्तुत किया गया है। सुलहनामा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है।

उभयपक्ष आर्बिट्रेशन अवधि 06 माह के लिए विस्तारित करने पर सहमत हैं।

अतः सुलहनामा क/13 के आधार पर याचिका धारा-29(A) आर्बिट्रेशन एक्ट स्वीकार की जाती है तथा उभयपक्षों के मध्य संचालित मध्यस्थता कार्यवाही हेतु 06 माह का समय विस्तारित किया जाता है। संधिपत्र क/13 निर्णय/आदेश का होगा।

पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुदामा प्रसाद)
(I.D.-UP.5963)
पीठासीन अधिकारी
कामर्शियल कोर्ट
प्रयागराज